भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5376
उत्तर देने की तारीख : 25.03.2026

वक्फ अधिकरणों में लंबित मामले

†5376. श्री अब्दुल रशीद शेखः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार, वक्फ अधिकरणों में कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): जिन 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड हैं, उनमें से 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 83 के अंतर्गत कुल 40 अधिकरण गठित किए गए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक से अधिक अधिकरण भी गठित हैं। मामलों की राज्यवार सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ख): एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) धारा 3(टक) के अनुसार, एक सांविधिक पोर्टल, अर्थात UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025, जिसे दिनांक 06-06-2025 को प्रारंभ किया गया, के माध्यम से संशोधित अधिनियम के लागू होने से पूर्व पंजीकृत सभी मौजूदा वक्फ तथा वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण, जिसमें पंजीकरण अभिलेख, सर्वेक्षण, लेखे, लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा पट्टा विवरण अपलोड करना शामिल है, अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करना होता है, जिससे एक पारदर्शी एवं सत्यापन योग्य डाटाबेस तैयार होता है।

(ii) UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार है। इस प्रक्रिया में अतिक्रमणकारी/अनधिकृत कब्जाधारियों को नोटिस जारी करना, उचित जांच करना, और अतिक्रमण सिद्ध होने पर वक्फ अधिकरण से बेदखली के उपयुक्त आदेश प्राप्त करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अधिकरण के आदेशों का पालन न होने की स्थिति में, जिला प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है, ताकि वक्फ संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया जा सके।

"वक्फ अधिकरणों में लंबित मामले" विषय पर श्री अब्दुल रशीद शेख द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 25.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5376 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ अधिकरणों में लंबित मामलों का विवरण			
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अधिकरणों की संख्या**	**मामलों की संख्या**
1.	अंडमान एवं निकोबार	गठित नहीं किया गया	-
2.	आंध्र प्रदेश	1	285
3.	असम	3	24
4.	बिहार (शिया/सुन्नी)	1	419
5.	चंडीगढ़	1	2
6.	छत्तीसगढ	1	86
7.	दिल्ली	1 (कार्य नहीं कर रहा है)	288
8.	दादरा नगर हवेली	1	-
9.	गुजरात	1	1660
10.	हरियाणा	4	615
11.	हिमाचल प्रदेश	1	20
12.	जम्मू एवं कश्मीर	गठित नहीं किया गया	-
13.	झारखंड	1	06
14.	कर्नाटक	4	1194
15.	केरल	1	293
16.	लक्षद्वीप	1	08
17.	मध्य प्रदेश	1	717
18.	महाराष्ट्र	1	3237
19.	मणिपुर	गठित नहीं किया गया	-
20.	मेघालय	1	02
21.	ओडिशा	1	163
22.	पुदुचेरी	2	12
23.	पंजाब	5	1119
24.	राजस्थान	1	1818
25.	तमिलनाडु	1	913
26.	तेलंगाना	1	1849
27.	त्रिपुरा	गठित नहीं किया गया	-
28.	उत्तर प्रदेश (शिया/सुन्नी)	1	1626
29.	उत्तराखंड	2	201

30.	पश्चिम बंगाल	1	636
	कुल	**40**	**17193**

अनुबंध
